16/2/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०)
वादी का बाद इकबालिया बयान के आधार
वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक
से लिखाया जाकर शा० मिसल्व किया गया
पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

न्यायालय : उपजिलाधीश, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 02 / 2023

दिनांक रजु :– 05–01–2023

पीठासीन अधिकारी

श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

करलाल पुत्र हरिनारायण जाति हरि0 ब्राह्मण निवासी तालेडा जमात कस्बा लालसोट हसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम्

1. रूपनारायण पुत्र श्रीनारायण
2. मुन्नी पत्नी कैलाश
3. गणेश प्रसाद } पि0 कैलाश
4. गुड्डू
5. दीपक } पि0 बाबूलाल
6. लोकेश

} समस्त जाति हरि0 ब्राह्मण तालेडा जमात कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 16–02–2023

स्थित :– श्री संजीव जोशी एडवोकेट – वादी की ओर से

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की और श्री लेखराज शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 7 की एकपक्षीय कार्यवाही

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्तमान आराजी खसरा नं0 3103 रकबा 15 बिस्वा कृषि भूमि वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित है उक्त आराजी बाबत विवाद होने से उक्त आराजी को आराजी वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। वादी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज है उक्त भूमि की खातेदारी भूमि के समीप ही स्थित है जिसे प्रतिवादीगण ने वादी के निजी उपयोग हेतू दे दी थी जिसे काफी रूपया खर्च कर झेरा व

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

Scanned with CamScanner

खण्डहर को समतल कर उपजाउ बनाया जिस पर वादी के पिता हरिनारायण की मृत्यु के बाद वादी तनहा काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। आराजी वादग्रस्त पर वादी के कब्जे काश्त मे कोई रूकावट बाधा नही आई लेकिन बाद मे प्रतिवादीगण की नियत मे फितुर आने के बाद प्रतिवादीगण आराजी वादग्रस्त का इकरारनामा भी वादी के पक्ष मे तहरीर कर दिया तत्पश्चात भी वादी के कब्जा काश्त पूर्वानुसार लगातार चलता आ रहा है। प्रतिवादीगण अब गुपचुप में अपने नाम दर्ज खातेदारी के इन्द्राज के बल पर आराजी वादग्रस्त को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। विगत दिनांक —— को वादी जब आराजी वादग्रस्त पर झाडफुस साफ कर रहा था तो 2–4 लोग आराजी वादग्रस्त पर आ गये तथा वादी को आराजी वादग्रस्त से जबरन बेदखल करने उसे खुर्द बुर्द करने की एंलानिया धमकी दी। जिससे वाद हैतुक पैदा होकर वादी को अपने हक हकूको की रक्षार्थ यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी आया है। वादी आराजी वादग्रस्त पर विगत 40 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर निर्विवाद बेरोकटोक प्रतिवादीगण की जानकारी को बावजुद काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है इसलिए वादी को आराजी वादग्रसत पर कब्जा मुखालफना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा प्रतिवादीगण को आराजी वादग्रस्त से वादी के बेदखल करने के बाद प्रस्तुत करने की मियाद 12 वर्ष भी समाप्त हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण के आराजी वादग्रस्त से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 (4) के अनुसार खातेदारी अधिकार विलुप्त हो चुके है। वादी कानूनन मुश्तहक है कि माननीय न्यायालय से इस आशय की डिक्री उद्घोषणा जारी करवावे कि आराजी वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 3103 रकबा 15 बिस्वा कृषि भूमि वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा की प्रतिवादीगण के नाम लोपित करते हुए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। वादी कानूनन मुश्तहक है कि माननीय न्यायालय से इस आशय की डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवावे कि आराजी वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 3103 रकबा 15 बिस्वा कृषि भूमि वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थिति वादी की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण कोई रूकावट बाधा पैदा न करे न करावे एतदर्थ प्रतिबंधित रहें।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner

लेखराज शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा इकबालिया जवाब दावा के आधार पर वाद डिकी किया जावे तथा वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन मे वादी शंकरलाल एवं स्वतंत्र गवाह भगवान सहाय पुत्र हरिनारायण व रामराय पुत्र हरिप्रसाद शर्मा के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि आराजी खसरा नं0 3103 रकबा 15 बिस्वा कृषि भूमि वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित है में वादी मुताबिक इकबालिया जवाब अनुसार का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेशित फरमाया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं आराजी खसरा नं0 3103 रकबा 15 बिस्वा कृषि भूमि वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट वाली भूमि वादी की कृषि भूमि है में वादी का नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित होना चाहिए था तथा वादी का वाद डिकी फरमाया जाकर वादी उक्त आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 3103 रकबा 15 बिस्वा कृषि भूमि वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट मे वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–02–2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपजिला कलेक्टर लालसोट

Scanned with CamScanner